संख्याः- 3082 / II-2006-04(39)/04

प्रेषक,

टीकम सिंह पंवार,
संयुक्त सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभागा, उत्तरॉचल,
देहरादून।

सिंचाई विभाग देहरादून, दिनांक 07 जून, 2006

विषयः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत योजनाओं की वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 2114/मु0अ0वि0/बजट/बी-1 एआईबीपी दि0 1.5.06 एवं 2200/मु0अ0वि0/बजट/बी-1 एआईबीपी दि0 8.5.06 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्नक में अंकित योजनाओं के रू0 603.09 लाख के आगणनों के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत रू0 596.47 लाख (रूपये पांच करोड़ छियानबे लाख सैतालीस हजार मात्र) की लागत के आगणनों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

1- योजना पर धनावंटन भारत सरकार की स्वीकृति के उपरान्त भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के बाद शासन की अनुमति से ही किया जायेगा।

2- योजनाओं का कार्य कराते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका, स्टोर पर्चेज रूल्स तथा शासन द्वारा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों का अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाय।

3- अधीक्षण अभियन्ता सभी योजनाओं का स्थल निरीक्षण कर स्थलीय आवश्यकतानुसार एवं शासन द्वारा अनुमोदित आगणन/लागत के अनुसार कार्य प्रारम्भ करवाना सुनिश्चित करें।

4- अधीक्षण अभियन्ता का दायित्व होगा कि कार्यों को सम्पादित कराने से पूर्व आगणन में लगाई गयी लीड, दूरी आदि का सत्यापन करें तथा आगणन में ली गयी दरों का पुनः परीक्षण करा लें ताकि किसी दर में कोई भ्रान्ति उत्पन्न न हो।

5- कार्य कराने से पूर्व परियोजनाओं के विस्तृत मानचित्र आगणन गठित कर तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लें, तद्परोन्त ही कार्य करायें।

क्रमशः 2

6– आगणन में जिन मदों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गयी है व्यय भी उन्हीं मदों में सुनिश्चित किया जाय।

7– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय और उपयुक्त न पाये जाने पर सामग्री को प्रयोग में न लाया जाय।

8– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना उसके मानक में अनुमन्य है।

9– एक मुश्त प्राविधान के कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10-- कार्य सम्पादित कराते समय विभागीय विशिष्टियों का पालन करना सुनिश्चित किया जाय तथा कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाय।

11-- योजना के क्रियान्वयन के समय ए0आई0बी0पी0 की योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन किया जाय ।

12-- योजनाओं पर व्यय की स्वीकृति योजना पर भारत सरकार की स्वीकृति एवं उसके विपरीत भारत सरकार से धन की स्वीकृति के उपरान्त शासन की स्वीकृति से यथा आवश्यकतानुसार ही दी जायेगी ।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0 139/XXVII (2)/2006 दिनांक 2 जून, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव।

संख्याः– 3002/ II–2006–04(39)/04 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1-- सीनियर, ज्वांईट कमीशनर, (एम0आई0) जल संसाधन मंत्रालय 108 बी0 शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
2-- वित्त अनु–2,
3-- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, टिहरी एवं पौड़ी ।
4-- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
5-- गार्ड फाईल।

संलग्न–यथोक्त।

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।

शासनादेश संख्या 3082 / II–2006–04(39)/04 दि0 7-6-06 का संलग्नक

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र.स.	योजना का नाम	योजना की मूल लागत	टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरान्त संसतुत लागत
1	2	3	4
1.	जनपद टिहरी के जौनपुर जनजाति एवं नरेन्द्रनगर वि0ख0 में 30 कि0मी0 आफसूटों के निर्माण की योजना	157.90	153.32
2	जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा वि0ख0 में मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत दांयी खो व बांयी खो नहरों के जीर्णोद्धार की योजना	99.95	98.95
3	जनपद पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर, दुगड्डा, द्वारीखाल विकास खण्डों में 165.70 कि0मी0 नहरों की लाईनिंग की योजना	295.40	294.60
4	जनपद पौड़ी गढ़वाल के दुगड्डा विकास खण्ड में मालन नहर प्रणाली के जीर्णोद्वार की योजना	49.84	49.60
	योग	603.09	596.47

(रूपये पांच करोड़ छियानबे लाख सैतालीस हजार मात्र)

(महावीर सिंह चौहान)
अनु सचिव।